पत्रांकः 2प / विविध–17–10 / 2025 / 6909 / पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

पटना, दिनांक 02/6/25

विषय : दिनांक–24.04.2025 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर मधुबनी जिला में माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम हेतु समुचित व्यवस्था के लिए कुल ₹3,00,00,000.00 (तीन करोड़ रूपये) मात्र राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक–24.04.2025 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में मधुबनी जिला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजन हेतु जर्मन हैंगर, सभामंच, हेलीपैड का निर्माण, लाईटिंग, बैरिकेडिंग इत्यादि के व्यवस्था हेतु जिला पदाधिकारी, मधुबनी को निदेशित किया गया था। उक्त कार्यक्रम में बिहार राज्य अंतर्गत लगभग 100000 जनप्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया।

2. उक्त कार्यक्रम के आयोजन हेतु विभागीय पत्रांक–4881 दिनांक–04.04.2025 द्वारा पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार से आवंटन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके विरूद्ध पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–J-11011/4/2024-Media दिनांक– 17.04.2025 द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विभाग स्तर पर संचालित खाता Panchayat Empowerment & Accountibility Incentive Scheme (विभागीय खाता संख्या 31883199882, IFSC-SBIN0006379) में कुल ₹3,00,00,000.00 (तीन करोड़ रूपये) मात्र राशि अंतरित किया गया है।

3. उक्त आलोक में पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त ₹3,00,00,000.00 (तीन करोड़ रूपये) मात्र राशि की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो राशि की निकासी PFMS के माध्यम से विभागीय खाता संख्या 31883199882, IFSC-SBIN0006379 (भारतीय स्टेट बैंक, विश्वश्रैया भवन, पटना) से जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा उपलब्ध कराये गये खाता संख्या–11302435916 IFSC-SBIN0000127 में अंतरित करेंगे।

5. उक्त राशि पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम हेतु Action Research & Publicity योजना के अंतर्गत उपलब्ध

कृ०पृ०उ०

करायी जा रही है। राशि का नियमानुसार व्यय करते हुए व्ययोपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र (GFR-19A एवं BTC-42A) में विभाग को महालेखाकार के समायोजन हेतु तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 2प/विविध–17–10/2025 के पृष्ठ संख्या ..18../टि० पर दिनांक 28.05.25 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(नजर हुसैन) 30/5/25

अपर सचिव

ज्ञापांक : 2प/विविध–17–10/2025/6909/पं०रा०, पटना, दिनांक 02/6/25

प्रतिलिपि : प्रधान महालेखाकार, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

(नजर हुसैन) 30/5/25

अपर सचिव

ज्ञापांक : 2प/विविध–17–10/2025/6909/पं०रा०, पटना, दिनांक 02/6/25

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन) 30/5/25

अपर सचिव

ज्ञापांक : 2प/विविध–17–10/2025/6909/पं०रा०, पटना, दिनांक 02/6/25

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन) 30/5/25

अपर सचिव

ज्ञापांक : 2प/विविध–17–10/2025/6909/पं०रा०, पटना, दिनांक 02/6/25

प्रतिलिपि : उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–5 एवं 6/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० मैनेजर को निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत्यादेश की प्रति विभाग के वेबसाईट पर डालेंगे तथा सभी संबंधितों को ईमेल के माध्यम से सूचित करेंगे।

(नजर हुसैन) 30/5/25

अपर सचिव